न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–22.01.2021

प्रकरण नं.– 240/2020

[illegible]:

[illegible] पुत्र छोगा जाति भील निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

– प्रार्थी –

बनाम

1. ओम प्रकाश नागर पुत्र श्री प्रभुलाल जाति धाकड़ (नागर) निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

– अप्रार्थीगण –

उपस्थितिः–

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 735 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजीयात भूमि पर काश्त करने व आने जाने के लिए हमारे पास कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 735 रकबा 0.24 है0 एवं मुख्य गै0मु0 रास्ता खसरा 711 रकबा 0.37 है0 के मध्य अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 733 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा स्थित है। उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थी नम्बर 1 काबिज काश्त हैं उक्त भूमि खसरा नम्बर 733 के उतरी दिशा की तरफ 13 फिट चौडे रास्ते से होकर कदीमि वर्षो से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि मे आते जाते रहे तथा कृषि कार्य करते रहे है। प्रार्थीगण मात्र उक्त रास्ते से ही अपनी जोत की भूमि पर आते जाते रहें है। उक्त खसरा नम्बर 733, में प्रार्थी को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक व सुलभ है। प्रार्थी की भूमि व मुख्य गै0मु0रास्ते

Ø1.2021

के मध्य अप्रार्थी नम्बर 1 की भूमि मे से प्रार्थीगण को रास्ते दिये
कम दूरी पडती है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मे आने जाने के
नम्बर 733 पर अप्रार्थी नम्बर 1 काबिज काश्त होने से आने जाने से
तथा रास्ते का अवरूद्ध कर दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।
ने अप्रार्थी नम्बर 1 को उक्त रास्ता चाहने बाबत पारस्परिक सहमति से कहा
परंतु अप्रार्थी नं. 1 सहमत नहीं हुआ। प्रार्थी को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध कराये
जाने से रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत अदा करने
के लिए तैयार है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 735 रकबा 0.24 है0
वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का निवारिया पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर
733 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा में स्थित है, के उतरी दिशा की तरफ 13
फीट चौडा रास्ता/ नया मार्ग वैकल्पिक रिकर्डेड रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान
करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस
प्रकार है:– प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने के अन्य काई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध
नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई
3.9622 मीटर एवं लम्बाई 45 मीटर यानि कुल क्षैत्रफल 178.29990 वर्ग मीटर
अर्थात 0.0178 है0 भूमि गै. मु. रास्ते के लिए प्रस्तावित है। रास्ता चाहे जाने वाली
कृषि भूमि आबादी से लगभग 800 मी0 दूर स्थित सिंचिंत भूमि है। रास्ता चाहे जाने
वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर 239769/– रू0 प्रति हैक्टेयर है जिसकी एक गुना
राशि 4268 रूपये दुगनी दर से प्रतिकर राशि 8536/– रूपये होती है। आवेदक
की भूमि खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ख. नं. 733/0.06 है0 में से रास्ता चाहता है
जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के
मध्य से कोई संरचना जैसे पेड, दिवार नही है। अप्रार्थी मौके पर मिला। मौखिक रूप
से निजी समझौते ग्राम स्तर अनुसार रास्ता देने के लिए सहमत है किन्तु सहमति के
हस्ताक्षर करने से मना कर दिया । अतः मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की
प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर मय अभिशंषा के सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के
तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को अपनी खसरा नम्बर 735 वाके

संग्रामपुरा में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी पूर्व से ख. नं. 733 से जाता रहा है परन्तु अप्रार्थी ने अब इस रास्ते को बन्द कर दिया है, जिसके प्रार्थी को एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश करना पड़ा। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थीगण एक बहुत ही गरीब काश्तकार है जिसको कोई भी अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता नहीं देता है। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रार्थी को रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी भूमि पड़त रह जाएगी और अनावश्यक लड़ाई झगडे बढेंगे।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट को सही बताया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 735 वाके ग्राम संग्रामपुरा में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने इस बाबत मौखिक सहमति भी दी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही अनुसार प्रस्तावित रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 733 रकबा 0.06 है0 में प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 3.9622 मीटर एवं लम्बाई 45 मीटर यानि कुल क्षैत्रफल 178.29990 वर्ग मीटर अर्थात 0.0178 है0 भूमि गै. मु. रास्ते के लिए, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 239769/– रू0 प्रति हैक्टेयर है जिसकी एक गुना राशि 4268/– रूपये दुगनी दर से प्रतिकर राशि 8536/– रूपये या वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी की दर पुनः गणना कर दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाने के पश्चात 178.2990 वर्ग मीटर अर्थात 0.0178 है0 भूमि को गै. मु. रास्ते के रूप में दर्ज राजस्व अभिलेख करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान कर रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली